



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228]
No. 228]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 1983/ज्येष्ठ 27, 1905
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 1983/JYAISTHA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1983

सा० का० नि० 494 (अ) —पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, पासपोर्ट नियमावली, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनायी है यथा :

1 (1) ये नियम पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, 1983 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची 1 में क्रम संख्या 8 के सामने दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए यथा :—

1	2	3
"8(i) (क)	पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ (पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)	उत्तर प्रदेश का राज्य (पीलीभीत, ग्राहजहांपुर, मणिपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नैनीताल, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, देहरी-गढ़वाल, बेहराइन और उत्तरकाशी के जिलों को छोड़कर।

1	2	3
(ख)	सहायक पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ (पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)	-वही-
(ग)	जन संपर्क अधिकारी, लखनऊ (पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)	-वही-
(घ)	अधीक्षक, लखनऊ (पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)	-वही-
8 (ii) (क)	पासपोर्ट, अधिकारी, बरेली (पासपोर्ट कार्यालय, बरेली)	उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, ग्राहजहांपुर, मणिपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नैनीताल, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, देहरी-गढ़वाल, बेहराइन और उत्तर काशी के जिले।
(ख)	जन संपर्क अधिकारी, बरेली (पासपोर्ट कार्यालय, बरेली)	-वही-

1	2	3	1	2	3
	(ग) अधीक्षक, बरेली पासपोर्ट कार्यालय, बरेली)	-बही-			Muzaffarnagar, Saharanpur, Garhwal, Almora, Pithoragarh, Chamoli, Tehri-Garhwal, Dehradun and Uttarkashi
		[संख्या बी० IV/553/3/82] ए० एम० पुनिया, उप-मन्त्रि		(b) Assistant Passport Officer, Lucknow (Passport Office, Lucknow).	-do-
	टिप्पणी — 1980 में भारत के (अनाधारण) राजपत्र के भाग II, खंड 3 उप खंड (1) में अधिसूचना संख्या जी एमआर 691 (ई) दिनांक 11 दिसंबर, 1980 द्वारा प्रकाशित मध्य नियम।			(c) Public Relations Officer, Lucknow (Passport Office, Lucknow).	-do-
	बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए —			(d) Superintendent, Lucknow (Passport Office, Lucknow).	-do-
	(1) [अधिसूचना संख्या जीएमआर 50 (ई) दिनांक 7 फरवरी, 1981		8(ii) (a) Passport Officer, Bareilly	(Passport Office, Bareilly)	The Districts of Pilibhit, Shahjahanpur, Mampur, Agra, Mathura, Aligarh, Etah, Bulandshah, Badaun, Bareilly, Rampur, Meerut, Ghaziabad, Moradabad, Nainital, Bijnor, Muzaffarnagar, Saharanpur, Garhwal, Almora, Pithoragarh, Chamoli, Tehri-Garhwal, Dehradun and Uttarkashi in the State of Uttar Pradesh
	(II) अधिसूचना संख्या जीएमआर 469 (ई) दिनांक 24 जून, 1982			(b) Public Relations Officer, Bareilly (Passport Office, Bareilly).	do-
	(III) अधिसूचना संख्या जीएमआर 325 (ई) दिनांक 12 अप्रैल, 1983			(c) Superintendent, Bareilly (Passport Office Bareilly)	do-
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
NOTIFICATION					
New Delhi, the 16th June, 1983					
G.S.R. 494 (E) —In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby make, the following rules further to amend the Passports Rules, 1980 namely :					
1 (1) These rules may be called the Passports (Second Amendment) Rules, 1983					
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette					
2 In Schedule I to the Passports Rules, 1980 for entries against Sl. No. 8, the following entries shall be substituted namely :—					
1	2	3			
"8(i) (a) Passport Officer, Lucknow (Passport Office, Lucknow)		The State of Uttar Pradesh (excluding the districts of Pilibhit, Shahjahanpur, Mampur, Agra, Mathura, Aligarh, Etah, Bulandshahr, Badaun, Bareilly, Rampur, Meerut, Ghaziabad, Moradabad, Nainital, Bijnor,			
			[No. V IV/553/3/82] A S PUNIA, Dy Secy		
			Note: Principal rule published vide Notification No. GSR 691 (E) dated 11th December, 1981, Gazette of India 1980 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i).		
			Subsequently amended by :—		
			(1) Notification No. GSR 50(E), dated 7th Feb, 1981		
			(ii) Notification No. GSR 469(E), dated 24th June, 1982.		
			(iii) Notification No. GSR 325(E), dated 12th April, 1983		